तथ्य पत्रक

भारत में लड़कियों की शिक्षा

6+ करोड़

भारत के बच्चे स्कूल नहीं जाते।[1]

#1

दुनिया के किसी भी देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की यह सर्वाधिक संख्या है।

भारत में

2X

4 वर्ष से कम की स्कूली शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले दुगनी होने की संभावना रहती है।[2]

लगभग 40%

15 से 18 वर्ष की आयु वाली किशोरियाँ किसी भी शैक्षिक संस्था में पढ़ने नहीं जातीं।[3]

30%

निर्धनतम परिवारों की लड़कियों ने कभी किसी स्कूल की कक्षा में पाँव नहीं रखा।[4]

भारत के सभी लड़कों-लड़कियों में से:

25% लड़के-लड़कियाँ कक्षा-2 की पाठ्य-सामग्री नहीं पढ़ पाते।[5]

36% लड़कियाँ **38%** लड़के अंग्रेजी के शब्द नहीं पढ़ पाते।[6]

42% लड़कियाँ **39%** लड़के गणित के बुनियादी जमा-घटा नहीं कर पाते।[7]

Centre for Budget and Policy Studies

Purva Bharati Educational Trust
To Seek to Strive and not to Yield

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक पूरा चक्र

भारत के 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की गारंटी दी गयी है। किन्तु इस अधिनियम का व्यापक रूप से कार्यान्वयन नहीं हुआ है, जिसके कारण भारत भर में इसके अनुपालन की दर मात्र 9 प्रतिशत है।[8] और तो और, 15 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। परिणामतः बहुत से बच्चे और खासकर लड़कियाँ ऐसी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, जबकि यह शिक्षा उनके परिवारों, समुदाय और देश के बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु बहुत जरूरी है।

स्कूल तक पहुँचने वाले बहुत-से बच्चे वह ज्ञान और कौशल सीखे बिना ही स्कूल से बाहर आ जाते हैं, जो श्रम बाजार में प्रवेश के लिए जरूरी है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) के आँकड़ों से पता चलता है कि माध्यमिक स्कूलों के बच्चे पढ़ने और गणित के सवाल लगाने में बुनियादी तौर पर कमजोर हैं। 2011 से 2014 के बीच कक्षा-5 के छात्रों के सभी विषयों के औसत प्राप्तांकों में गिरावट आयी है।[9]

इसका एक कारण है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। आंकड़े दर्शाते हैं कि 17.5 प्रतिशत प्राथमिक और 14.8 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं।[10] उससे भी बड़ी बात यह है कि प्राथमिक स्तर के केवल 70 प्रतिशत शिक्षक पर्याप्त प्रशिक्षित और सुयोग्य हैं।[11]

भारत की शिक्षा प्रणाली संसाधनों के अभाव से बुरी तरह ग्रस्त है। सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.7 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता है (2015-16)।[12] वर्ष 2012-13 में यह व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत था। यानी इसमें तुलनात्मक रूप से गिरावट आयी है। 2015 की इंचियॉन घोषणा[13] तथा कोठारी आयोग[14] ने जीडीपी के कम से कम 6 प्रतिशत को शिक्षा के लिए आवंटित करने की संस्तुति की थी। उक्त व्यय इन संस्तुतियों से बहुत कम है।

सभी लड़कियों को कक्षा-12 तक शिक्षा देने के फ़ायदे

रोजगार

- रोजगार और जीवन के लिए जो कौशल जरूरी होते हैं, उन्हें विकसित करने का सबसे प्रभावी साधन है शिक्षा, उसमें खास तौर से माध्यमिक शिक्षा। इसलिए, इसे कुशल और पर्याप्त आमदनी देने वाले रोजगार की संभावना बढ़ाने वाले निवेशों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।[15]
- जिन लोगों को गुणवत्तायुक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मिली होती है, उनके कमजोर रोजगार में जाने अथवा बिना संविदा या बिना सामाजिक लाभ के काम करने की संभावना उन कामगारों की अपेक्षा काफी कम रहती है, जो केवल माध्यमिक शिक्षा पाए होते हैं।[16]

आर्थिक संवृद्धि

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा उन सामाजिक कारकों के दुष्प्रभाव को दूर कर सकती है, जिनके कारण श्रम बाजार में महिलाओं की प्रतिभागिता बाधित होती है। शिक्षा में होने वाली प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की वृद्धि से अर्जन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है।[17] इसका अभिप्राय यह हुआ कि शिक्षा से न केवल अर्थव्यवस्था में संवृद्धि आती है, बल्कि यह गरीबी से लड़ने में भी मददगार है।
- माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में लड़कियों की हिस्सेदारी में 1 प्रतिशत की वृद्धि करने से आर्थिक संवृद्धि में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होती है।[18]

सशक्तीकरण

- शिक्षा महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह बाल-विवाह और कम उम्र में गर्भधारण को रोकने में किया गया सबसे सशक्त निवेश हैं माध्यमिक शिक्षा में हुई प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की वृद्धि में 18 वर्ष से पहले बाल-विवाह होने की संभावना पाँच प्रतिशत बिन्दु कम हो जाती है।[19]

संस्तुतियाँ

- शिक्षा पर घटते व्यय की प्रवृत्ति को उलटकर उसमें वृद्धि की जाए और शिक्षा-व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत किया जाए। शिक्षा-व्यय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए विशेष आवंटन किया जाए।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को उसमें शामिल किया जा सके।
- बच्चों, खासकर लड़कियों की शिक्षा के परिणामों में सुधार लाया जाए। इसके लिए स्कूल-प्रणाली के सभी स्तरों पर प्रशिक्षित और सुयोग्य शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए।

REFERENCES

1 UNESCO Insitute of Staisics, 2013
2 DHS,2015
3 NCPCR, Naional Colloquium Report, 2018
4 Global Educaion Monitoring Report, 2012
5 Annual Status of Educaion Report, 2018
6 ibid.
7 ibid.
8 RT Forum, Stocktaking Report, 2018
9 UNICEF, Analysis of the Situaion of Children, Adolescents and Women in India, 2016
10 Union Minister for Human Resource Development Shri Prakash Javadekar, in reply to a quesion raised in Lok Sabha, December 2016
11 UNESCO Insitute for Staisics, 2013
12 Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA), Is There Enough Public Resource for School Educaion?
13 Incheon Declaraion and SDG4 – Educaion 2030 Framework for Acion, 2016
14 Naional Educaion Commission, 1964-66
15 UNESCO, Educaion for people and planet: creaing sustainable futures for all, Global educaion monitoring report, 2016
16 UNESCO, Educaion for people and Planet: Creaing Examining the Available Evidences, 2017
Sustainable Futures for All, 2016
17 UNESCO, Educaion Counts - Toward the Millennium Development Goals, Global educaion monitoring report, 2011
18 World Bank, Measuring the Economic Gain of Invesing In Girls, Policy Research Working Paper 5753, 2011
19 World Bank, Economic impacts of child marriage: Global synthesis report, 2017